<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>23.04.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले (ग्रुप सी और डी स्टाफ) में **56.50 करोड़** रुपये की अचल संपत्तियां यानी भू-खण्ड, वाणिज्यिक स्थान, फ्लैट और विला को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो प्रसन्न कुमार रॉय और उनके सहयोगियों की कंपनियों/एलएलपी के नाम पर हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) और अन्य के मामले में एसएलपी (सिविल) 9586/2024 में दिनांक 03.04.2025 के फैसले के माध्यम से पश्चिम बंगाल केंद्रीय एसएससी द्वारा 25000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया और पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित और दागदार करार दिया।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों की नियुक्ति में अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक के उम्मीदवारों को अवैध रूप से नियुक्त करने और योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने का मामला शामिल है।आरोपों में निष्पक्षता बनाए रखे बिना, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर तथा प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन करके नियुक्ति करना शामिल है।

ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप सी और डी स्टाफ भर्ती घोटाले के इस मामले में **163.66 करोड़ रुपये** की संपत्ति जब्त की थी और **प्रसन्ना कुमार रॉय** (उम्मीदवारों से धन और विवरण एकत्र करने में शामिल मुख्य बिचौलिया) और **चंदन मंडल** (प्रसन्न कुमार रॉय का मुख्य एजेंट) को गिरफ्तार किया था और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले (एसएससी सहायक शिक्षक 9वीं से 12वीं) के एक संबंधित मामले में, ईडी ने पहले ही **238.78 करोड़** रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के एक अन्य मामले में, ईडी पहले ही **151 करोड़** रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्त कर चुका है। इस प्रकार, भर्ती घोटाले के मामलों में ईडी कोलकाता द्वारा की गई कुल कुर्की **609.9 करोड़** रुपये है।

आगे की जांच जारी है।